न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) तहसील पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–दर्शना इन्दलिया आर.टी.एस.

श्योजीराम आदि बनाम मनीराम आदि

किस्म मुकदमा –183 बी आरटीए प्रकरण सं.–07 / 2009

–:निर्णय:– दिनांक–28.02.2025

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्योजीराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी 65 एल एन पी जरिए भालाराम पुत्र श्योजीराम जाति नायक निवासी 65 एलएनपी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता सुरजाराम पुत्र गोधूराम व बुआ रामेश्वरी के नाम मु.न. 29 के 12–10 बीघा भूमि दर्ज कागजात है। प्रार्थी जाति से नायक है। उक्त भूमि पर मनीराम पुत्र रामलाल आदि जाति बिश्नोई निवासी 65 एलएलपी नाजायज रूप से काबिज है। अतः उक्त भूमि पर स्वर्ण जाति का कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा बैयनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि क्रमांक 343 दिनांक –23.03.1965 को गोधिया वल्द तिलोका द्वारा मनीराम आदि को बैय की गई है। प्रार्थी विक्रेता के वारिस है। विक्रेता गोधूराम जाति से नायक है जो कि जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। क्रेता बिश्नोई जाति से है, जो (जाति) कि गैर अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। विक्रेता ने रा.का.अधि. 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया है जिससे प्रार्थीयान के खातेदारी हकूक धारा 183 बी में विचाराणीय नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर धारा 183 बी आरटीए के तहत अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली निर्णयशुमार कर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दर्शना इन्दलिया)
तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर (राज०)